तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/01/2002/नागौर भूरसिंह वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अशोक मेघवंशी, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः–12–09–2022

यह अपील धारा 23 (2–ए) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–12–2001 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी नागौर ने अपीलार्थी संख्या 1 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 3–ख सपठित नियम 1963 (जिसे आगे चलकर पुराना सीलिंग कानून कहा जाएगा) के तहत कृषि भूमि की अधिकतम सीलिंग सीमा निर्धारण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की एवं अपने निर्णय दिनांक 18–11–1971 द्वारा सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी। कालान्तर में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने उक्त प्रकरण को पुनः खोलकर निर्णित किए जाने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को अधिकृत किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 15–12–2001 द्वारा अपीलार्थी के धारण में सीलिंग सीमा से 49–24 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिक होना मानते हुए अधिग्रहण करने के आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/01/2002/नागौर भूरसिंह वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित कर दिए। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने आलोच्य अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण खोले जाने के बाद न्यायालय के समक्ष यह आवश्यक था कि पुराने सीलिंग कानून के तहत बने नियम 1963 के नियम 14 के तहत नोटिस दिया जाकर आगामी कार्यवाही की जाती। उन्होंने कहा कि मामले में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 18-11-1971 को किस आधार पर पुनः खोले जा रहा है। इन कारणों के अभाव में नोटिस नहीं दिए जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में की गयी कार्यवाही दूषित है। उनका आगे कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के धारण में दिनांक 01-4-1966 को कुल 2919 बीघा 15 बिस्वा भूमि मानकर रेकार्ड के विपरीत निर्णय दिया। आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु ही अपेक्षित था कि पुराने सीलिंग कानून की धारा 30-ई के तहत तय करने के लिए केवल अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01-4-1966 को धारित भूमि की ही सीलिंग सीमा निर्धारित करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो दिनांक 25-2-1958 का ही निर्धारण कर सके और न ही निर्धारित तिथि दिनांक 01-4-1966 की स्थिति का ही आंकलन कर सके। अधीनस्थ न्यायालय को मामले में किए अन्तरणों अथवा कानूनन अन्य लोगो को मिली खातेदारी की भूमि को कम करते हुए सीलिंग का निर्धारण करना चाहिए, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि समस्त भूमि में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेटन्ट संख्या 2 व माता का हिस्सा था। यहीं नहीं कुल भूमि में से अपीलार्थी संख्या 1 का 1/4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/01/2002/नागौर भूरसिंह वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हिस्सा निहित था। अधीनस्थ न्यायालय को कुल भूमि चार परिवारों में मानते हुए सीलिंग का निर्धारण करना चाहिए था। आगे बताया कि चार परिवारों की भूमि होने के अतिरिक्त भी अपीलार्थी के पास जो भूमि थी, उसके पिता से प्राप्त हुई एवं आराजी पैतृक होने से इस भूमि में अपीलान्ट के पुत्र का भी नोशनल हिस्सा था। विकल्प में अपीलार्थी अपने दो पुत्रों सहित 90 स्टेण्डर्ड एकड भूमि रखने का अधिकारी है। यह भी बताया कि मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर भूमि का अन्तरण होना मान लिया। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के परिवार में दिनांक 01–4–1966 को 10 सदस्यों के स्थान पर केवल 7 सदस्य मानकर सीलिंग सीमा निर्धारण करने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि यदि गजसिंह को निर्धारित तिथि को अपीलार्थी का सदस्य नहीं माना तो रिटर्न के अनुसार अपीलार्थी के परिवार में 9 सदस्य थे। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–12–2001 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए उसके विरूद्ध संस्थित सीलिंग कार्यवाही समाप्त किए जाने का निवेदन किया।

उपराजकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है। उनका कहना है कि प्रदर्श–16 के द्वारा गत खसरा संख्या 555 के हाल खसरा संख्या 374 की खातेदारी अपीलार्थी के पुत्र सवाईसिंह व छोटूसिंह को दी गई है वह विधिवत नहीं है, क्योंकि यह बंटवारा दिनांक 31–12–1969 के बाद का है। इसी प्रकार अपीलार्थी ने वाद संख्या 96/1971 निर्णय दिनांक 15–11–1972 पेश किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी के भाई उदयसिंह को गत खसरा संख्या 130 मिलन के हाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/01/2002/नागौर भूरसिंह वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा संख्या 441 रकबा 26 बीघा की खातेदारी प्रदान की गई है। यह भी अन्तरण दिनांक 31–12–1969 के बाद का होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। आगे कहा कि जमाबंदी सम्वत 2011–2014 एवं 2015–2018 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा साक्ष्यस्वरूप प्रदर्श 7, 9, 10, 11, 16, 19, 18 में वर्णित भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं होना मानने योग्य नहीं है। उनक तर्क है कि जागीर की भूमि को पैतृक भूमि नहीं माना गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा पेश की साक्ष्य प्रदर्श–11 ग्राम देऊ की जमाबंदी खतौनी सम्वत 2006 के कालम संख्या 4 में अपीलार्थी भूरसिंह पिता कुशालसिंह राजपूत साकिन देह जागीरदार दर्ज है तथा कालम संख्या 5 में खुदकाश्त दर्ज है। उक्त स्थिति में विवादित सम्पूर्ण भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं होने के कारण अपीलार्थी के नाम खुदकाश्त दर्ज होने के कारण अपीलार्थी की अकेले की खातेदारी की ही मानी जाएगी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पूर्व पारित निर्णयों का अवलोकन किया। पत्रावली, पारित निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामले में उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष संस्थित प्रकरण संख्या 29/1970 में पारित निर्णय दिनांक 18–11–1971 के बाद जांच में अपीलार्थी की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं होने के आधार पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/01/2002/नागौर भूरसिंह वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यवाही समाप्त कर दी गई। कालान्तर में राज्य सरकार आदेश दिनांक 03–5–1983 के अनुसार पारित किया गया उक्त निर्णय काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 3–ख के अनुसार नहीं होने व राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल होने से नवीनतम अधिनियम वर्ष 1973 की धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को अधिकृत किया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी अधिकारी ने मामले में पुनः विचारण प्रारम्भ कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। पत्रावली का विधि की रोशनी में परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2011–2014 व 2015–2018 तथा 2016–2019 के अनुसार अपीलार्थी की खातेदारी में बारानी प्रथम भूमि 476–09 बीघा एवं बारानी द्वितीय भूमि 2181–07 अर्थात कुल 2657–16 बीघा दर्ज होना पाया जाता है। यहीं नही जमाबदी सम्वत 2020–2024 में अपीलार्थी की खातेदारी में बारानी दोयम 261–19 बीघा भूमि और दर्ज हुई। साराशंतः कुल 2919–15 बीघा भूमि निर्धारित तिथि दिनांक 01–4–1966 को अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज होना पाया गया है। मौखिक गवाहान के बयान लेखबद्ध किए गए, जिसके अनुसार उन्होंने यह कथित किया है कि उनकी खातेदारी में जो भूमि दर्ज हुई वह उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई तथा कब्जाकाश्त चला आ रहा है व लगान वही देते है उनका कृषि कार्य है तथा ग्राम देऊ के ही निवासी है। अतः अपीलार्थी या उसके पारिवारिक सदस्य का आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। गवाहान ने अपने बयानों में यह भी प्रदर्शित किया कि उनके द्वारा या उनके पूर्वजों ने अपीलार्थी से भूमि क्रय नहीं की है तथा न ही अपीलार्थी के विरूद्ध जरिये राजस्व वाद खातेदारी अधिकार प्राप्त किए तथा केवल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/01/2002/नागौर भूरसिंह वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कब्जे काश्त के आधार पर बाई ला आफ ऑपरेशन भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज हुई है।

मामले में संबंधित पटवारी ने अपने बयानों में दर्शित किया कि गत खसरा संख्या 596 रकबा 145-06 बीघा सम्वत 2006 में सला पुत्र बींजा, बींजा व खूमा पिसरान गिरधारी जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 290 व 291 कायम किए गए है। इसके अतिरिक्त हाल खसरा संख्या 191 सला पुत्र बीजा, बीजा, खुमा पिसरान गिरधारी के नाम दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम देऊ के हाल खसरा संख्या 290 रकबा 98-18 बीघा राजस्व रेकार्ड में निर्धारित तिथि को है। यह 98-18 बीघा भूमि अपीलार्थी ने कब व कैसे अन्तरित की, जिसे उनके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस कारण यह अन्तरण मान्य होता है। अपीलार्थी द्वारा रिटर्न दिनांक 30-9-1995 को पेश किया है, जिसके अनुसार परिवार में कुल 8 सदस्य बताये गये है, जबकि रिटर्न दिनांक 13-1-1971 में परिवार के सदस्यों की संख्या 10 बतायी गयी है। तहसीलदार नागौर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 07-4-1971 में अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों की संख्या 9 होना प्रमाणित किया है।

ग्राम देऊ की बारानी अव्वल भूमि एवं बारानी द्वितीय भूमि को 30 स्टेण्डर्ड एकड में परिवर्तन करने पर बारानी अव्वल 437-07 बीघा बराबर 44-73 स्टेण्ड एकड तथा बारानी द्वितीय 537-17 बीघा बराबर 44-51 स्टेण्डर्ड एकड कुल 89-24 स्टेण्डर्ड होती है। धारा 30-सी के अनुसार 5 सदस्यों के परिवार के लिए 30 स्टेण्डर्ड एकड तथा शेष प्रत्येक सदस्य के लिए 5 स्टेण्डर्ड एकड अधिक भूमि धारित किया जाना प्रावधित है। तदनुसार अपीलार्थी के परिवार में कुल 7 सदस्य निर्धारित तिथि को प्रमाणित है जो 40 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण कर सकते है जबकि अपीलार्थी के द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/01/2002/नागौर भूरसिंह वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्धारित तिथि को 89–24 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित की जा रही है, जिसमें से 40 स्टेण्डर्ड एकड भूमि कम करने पर 49–24 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अपीलार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील सारहीन होना प्रकट होती है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–12–2001 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सी.आर.मीणा)** **सदस्य**	